राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2490 / 2024

सुनिता

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू।
4. मुख्य ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सूरजगढ, जिला झुन्झुनू।
5. सुशीला कुमारी, एएनएम, उप स्वास्थ्य केन्द्र, बास बिजोली, जिला झुन्झुनू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 18.10.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मचन्द जैन, अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 की ओर से : श्री संदीप गरसा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, बिजोरी का बास, पीएचसी, सूरजगढ, जिला झुन्झुनू में कार्यरत है। इसी पद के विरूद्ध एक अन्य कार्मिक निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 उसी स्थान पर कार्यरत है। इस कारण से अपीलार्थी को वेतन अन्य पद के विरूद्ध आहरित कर दिया जा रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि अपीलार्थी को अन्य पद के विरूद्ध वेतन प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में अपीलार्थी को इस पद पर अधिशेष माना जाएगा। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी वर्ष 2012 से इस पद पर कार्यरत है। पूर्व में अपीलार्थी को ही इस पद से वेतन प्रदान किया जा रहा था। बाद में निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण अपीलार्थी के स्थान पर होने के कारण निजी प्रत्यर्थी को इस पद से वेतन दिया जा रहा है। अपीलार्थी अपने स्थानांतरण आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय से पारित स्थगन आदेश की पालना में इसी पद पर कार्यरत है।

2. हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपने स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 15806/2022 प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 30.08.2024 पारित कर अपीलार्थी के स्थानांतरण के सम्बन्ध में स्थगन आदेश को यथावत रखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया था कि वो नये सिरे से अपीलार्थी के संबंध में प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक होने पर स्थानांतरण आदेश पारित करें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2024 निम्न प्रकार से हैः—

> "This writ petition is disposed of in following terms as agreed and requested by the learned counsels for the respective parties:-
>
> 1. The interim order dated 15.12.2022 passed by this Court is made absolute.
>
> 2. The respondents are at ilberty to pass a fresh transfer order qua the petitioner as per Rules if the administrative exigency so warrants.
>
> Pending application(s), if any, also stands disposed of."

3. यह प्रकट होता है कि वर्तमान में एक ही पद पर 2 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह लोकहित में उचित नहीं है, क्योंकि एक कर्मचारी एक ही पद पर कार्यरत होना चाहिए। स्थिति के निवारण के लिये आवश्यक है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग स्थानान्तरण हेतु अपीलार्थी/निजी प्रत्यर्थी के पदस्थापन/स्थानान्तरण हेतु उचित आदेश पारित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अन्य स्थान से वेतन का आहरण होने के आधार पर अपीलार्थी को अधिशेष होना नहीं माना जावें एवं प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक दृष्टि से व लोकहित में ही स्थानान्तरण/पदस्थापन का आदेश पारित करेगा। इस आदेश की पालना एक माह में सुनिश्चित की जाए।
4. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)